

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

क्रमांक: प। ॥ कार्यालय/अस्पताल/01/ 2568

दिनांक: 24-11-01

कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अंतर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुए दोग्गा हार्ट एण्ड जनरल हास्पिटल, 7, विवेकानन्द मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर को मंडल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अतिरिक्त हास्पिटल को भुगतान हेतु कुल दैय राशि में 1 पैकेज आइटम को छोड़कर 10 प्रतिशत की छूट दिए जाने की शर्त पर अधिकृत किया जाता है ।

उक्त आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय की पूर्ण अपेक्षा में जारी किया जाता है।

सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/निजी सचिव-आवासन आयुक्त मु. अ., रा. आ. मं.
2. निदेशक, दोग्गा हार्ट एण्ड जनरल हास्पिटल, सी-स्कीम, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 9. 11. 2001 के क्रम में सूचनार्थ ।
3. अति. मुख्य अभियंता-----, रा. आ. मं., -----
4. वरि. निजी सहायक-सचिव/वि. स. स्वं मु. ले. अ., रा. आ. मं., जयपुर
5. उप. आवासन आयुक्त, वृत्त-
6. आवासीय अभियंता, हार्ट-
7. लेखाधिकारी, वित्त/भुगतान, रा. आ. मं., जयपुर
8. समस्त प्रकोष्ठ। मु. /नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली

सचिव